



क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड  
Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board  
भवन स0-3/5 बी, सेक्टर-3, सुहाग नगर, फिरोजाबाद।

संदर्भ संख्या: 971 / FBI-552 / 19

दिनांक: 21 / 11 / 19

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4),  
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,  
लखनऊ।

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, प्रिंसिपल बेन्च, नई दिल्ली के ओ0ए0 न0 785/2019 श्री वावू जी वनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 में पारित आदेश दिनांक 16.10.2019 के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में आवेदक श्री वावूजी पुत्र श्री उदयवीर पुत्र श्री झम्मन लाल, निवासी- ग्राम-लालऊ, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के ओ0ए0 न0- 785/2019 में पारित आदेश के अनुक्रम में उद्योग मै0 सरस्वती वीड्स इण्डस्ट्रीज, ढोलपुरा, आगरा रोड़, फिरोजाबाद से जल, वायु प्रदूषण एवं 7-8 इकाईयों की स्थापना के सम्बन्ध में शिकायती प्रकरण में निरीक्षण कार्यालय के सक्षम अधिकारियों द्वारा दिनांक 12.11.19 को किया गया। निरीक्षण आख्या के आधार पर उद्योग में कच्चे माल के रूप में सोड़ा ऐश, सिलिका सैण्ड, ब्रोकेन ग्लास तथा कैमिकल्स का उपयोग कर ग्लास बीड्स का उत्पादन किया जाता है। उद्योग में घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोकपिट एवं वाशिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को ई0टी0पी0 के माध्यम से शुद्धिकृत कर प्रक्रिया में रिसाइकिल कर लिया जाता है। ई0टी0पी0 के पश्चात उत्प्रवाह की थर्ड पार्टी मै0 इन्वायरोटैक सर्विसेज, गाजियाबाद की विश्लेषण आख्या के आधार पर प्रचालक निर्धारित मानकों के अनुरूप पाये गये। उद्योग में वायु प्रदूषणकारी स्रोत के रूप में दो टैंक फर्नेस स्थापित है जिनसे गैसीय उत्सर्जन की स्टैक मॉनिटरिंग रिपोर्ट मै0 सी0डी0जी0आई0, फिरोजाबाद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पयी गयी। शिकायती उद्योग में ग्लास बीड्स उत्पादन कार्य के अलावा अन्य किसी भी उत्पाद निर्माण का कार्य नहीं किया जाता पाया गया एवं उद्योग के उत्प्रवाह से फसलों के नष्ट होने की पुष्टि/प्रमाण निरीक्षण के समय नहीं पाये गये।

अग्रेतर उद्योग स्वामी द्वारा अपने पत्र दिनांक 14.11.19 द्वारा अवगत कराया गया कि श्री उदयवीर सिंह आदि से उनके, भूमि सम्बन्धी विवाद चल रहा है जिसके कारण श्री उदयवीर सिंह द्वारा विभिन्न विभागों में मनगढन्त शिकायतें की जा रही हैं। तहसीलदार न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय में प्रेषित शिकायत में निर्णय उनके पक्ष में किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न), इनके साथ-साथ सत्र न्यायालय, फिरोजाबाद में धारा 504, 506 भा0द0स0 व धारा 3 (1) में वाद भी खारिज कर दिया गया है। श्री उदयवीर सिंह आदि द्वारा मुझे एवं मेरे परिवार को परेशान करने की नियत से झूठी, तथ्यहीन शिकायतें की जाती रहती है।

निरीक्षण आख्या मय संलग्नकों सहित मा0 एन0जी0टी0 के आदेश के क्रम में ई-मेल [judicial-ngt@gov.in](mailto:judicial-ngt@gov.in) पर ससमय आपके स्तर से भिजवाने हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(मनोज कुमार)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

प्रतिलिपि- विधि अधिकारी प्रथम, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी(प्र0)

**गा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर ओ०ए० न०- 785/2019 में पारित आदेश दिनांक 16.10.19 के अनुपालन में गै० सारस्वती बीड्स इण्डस्ट्रीज, दोलपुरा आगरा रोड, फिरोजाबाद की आख्या के सम्बन्ध में।**

उपरोक्त संदर्भित प्रकरण में शिकायतकर्ता श्री बाबू पुत्र श्री उदयवीर पुत्र श्री इम्मान लाल, निवासी- ग्राम-लालऊ, थाना-दक्षिण, फिरोजाबाद द्वारा गा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दायर ओ०ए० न०- 785/2019 में पारित आदेश दिनांक 16.10.19 के अनुपालन में अपोहस्तारकर्ताओं द्वारा दिनांक 12.11.19 को उक्त संदर्भित उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री नीरज माहेश्वरी उपस्थित थे। निरीक्षण एवं वार्तानुसार निम्न तथ्य प्रकाश में आये :-

1. उपरोक्त उद्योग ताज प्रतिबन्धित सीमा के अन्तर्गत स्थापित है तथा उद्योग के शपथपत्र के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 13381/84 में सूचीबद्ध इकाईयों की सूची के क्रमांक 527 में सम्मिलित है।
2. उद्योग जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत है तथा उद्योग के पंजीयन प्रमाण पत्र की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। पंजीयन के अनुसार उद्योग दिनांक 23.03.1970 से पंजीकृत है।
3. उद्योग में कच्चे माल के रूप में सोडा ऐश, सिलिका रोण्ड, ब्रोकेन ग्लास तथा कैमिकल्स का उपयोग कर ग्लास द्यूब्स/बीड्स लगभग 3 टन/दिन का उत्पादन किया जाता है।
4. उद्योग में वर्ष 1996 क्षमता के अनुसार उत्पादन करने के साथ-साथ ईंधन के रूप में केवल गैस उपभोग करने हेतु बचनवद्धता दी गयी है।
5. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजनार्थ किया जाता है। उद्योग से जनित घरेलू उत्प्रवाह लगभग 1.0 कि०ली०/दिन को सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। वाशिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को शुद्धिकृत किये जाने हेतु उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। उद्योगी द्वारा ई०टी०पी० के पश्चात की रिपोर्ट दिनांक 25.01.2019 थर्ड पार्टी मै० इन्वायरोटेक सर्विसेज, गाजियाबाद की प्रस्तुत की है, जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप है।
6. उद्योग में निम्न वायु प्रदूषणकारी स्रोत स्थापित है।
 

क. टैंक फर्नेस	- 02 नग (गैस फायर्ड)
ख. लेयर	- 07 नग
ग. ड्रायर	- 12 नग
घ. ग्लास बीड्स वाशर	- 32 नग
ङ द्यूब कटिंग मशीन	- 14 नग
च. गैस आधारित जनरेटर	- 03 नग (उद्योग प्रतिनिधि के अनुसार 125 केवीए प्रत्येक)
7. उद्योग में वायु प्रदूषणकारी मुख्य स्रोत के रूप में दो टैंक फर्नेस स्थापित हैं जिनसे जनित गैसीय उत्सर्जन के निस्तारण हेतु अलग-अलग टैंक फर्नेसेज पर 30 मी० की ऊँची चिमनियां स्थापित है। उद्योगी द्वारा दोनों टैंक फर्नेस से जनित वायु उत्सर्जन की स्टैक मॉनिटरिंग की जांच रिपोर्ट दिनांक 07.12.18 सी०डी०जी०आई०, (कांच उद्योग विकास केन्द्र), फिरोजाबाद से कराकर प्रस्तुत की गयी है, जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप हैं।
8. शपथपत्र के अनुसार उद्योग को 7000 एस०सी०एम०डी० गैस सप्लाई हेतु गेल गैस लि० के साथ अनुबन्ध है। उद्योग द्वारा सभी वायु प्रदूषणकारी स्रोतों का संचालन गैस आधारित है तथा गैस से ही संचालन किया जाता है।
9. उद्योग द्वारा बोर्ड से नियमित रूप से सहमति जल एवं सहमति वायु प्राप्त की जा रही है। वर्तमान में उद्योग को जारी सहमति वर्ष 2021 तक निर्गत है। शपथपत्र के अनुसार उद्योग में वर्ष 1996 के पश्चात वृद्धि नहीं की गई है तथा भविष्य में वर्ष 1996 के अनुसार ही उत्पादन करने की बचनवद्धता दी गयी। निरीक्षण के अनुसार उद्योग में गैस जनरेटर 03 नग पाये गये जिसमें गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि एक समय में एक गैस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। शेष जनरेटर स्टैंडबाई के रूप में स्थापित है।
10. निरीक्षण के समय उद्योग में किसी प्रकार का लस्टर का प्रयोग होता नहीं पाया गया।
11. उद्योग परिसर के पीछे बाउण्ड्रीवॉल के अन्तर्गत स्थित जमीन लगभग 2-3 एकड़ जमीन उद्योगी द्वारा अपनी जमीन बताया गया जिसके लो लाईंग एरिया में पानी भरा हुआ पाया गया। इसके सम्बन्ध में उद्योगी द्वारा सूचित किया गया कि यह पानी वर्षा के सीजन का है एवं उद्योग के घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण भी उसी स्थल पर किये जाने से अवगत कराया गया।
12. उद्योग में वाशिंग प्रक्रिया से जनित उत्प्रवाह को परिसर में स्थापित ई०टी०पी० से शुद्धिकृत कर रिसाइकिल कर लिया जाता है। उद्योग के उत्प्रवाह से फसलों के नष्ट होने की पुष्टि/प्रमाण निरीक्षण के समय नहीं पाये गये हैं।
13. शिकायती उद्योग में सोडा ऐश, सिलिका सैण्ड, ब्रोकेन ग्लास तथा कैमिकल्स का प्रयोग कर ग्लास द्यूब्स/बीड्स का उत्पादन कार्य किया जाता है, स्थल पर अन्य कोई उत्पाद निर्माण कार्य नहीं किया जाता पाया गया।
14. उद्योगी द्वारा सूचित किया गया कि उक्त शिकायतकर्ता विगत कई वर्षों से जमीनी विवाद होने के कारण उद्योग के विरुद्ध बार-बार शिकायत करता रहता है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उद्योग को जारी सहमति जल एवं सहमति वायु में दी गयी शर्तों का अनुपालन उद्योग द्वारा अधिकांशतः किया जा रहा है।

निरीक्षण आख्या आपके सूचनार्थ भेजकर प्रस्तुत।

(डा० जै०पी० सिंह)  
सहा० वैज्ञा० अधि०

(मनोज कुमार)  
क्षेत्रीय अधिकारी(प्र०)

**मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-4) महोदय।**



# ENVIRO-TECH SERVICES

An Environmental Analytical Laboratory

Environmental Monitoring, Testing and Services

(An ISO 9001:2015, 14001:2015 and OHSAS 18001:2007 Certified Company)

Recognised by MoEF (Govt. of India), Accredited by ISO/IEC-17025:2005 (NABL) & UPPCB

G-232, M.G. Road Industrial Area, Hapur-Ghaziabad. (U.P.)-201015

email : etslab2012@gmail.com | Website : www.etslab.in | Ph.: 9811736063, 9911516076



## TEST REPORT

URL : TC62501900000604F

TEST REPORT NO : ETS/704/01/2019

DATE OF REPORT : 25-01-2019

## WASTE WATER SAMPLE ANALYSIS REPORT

Name And Address Of Customer : M/s SARASWATI BEADS INDUSTRIES  
DHOLPURA-AGRA ROAD , FIROZABAD,U.P., INDIA -

Date of Sampling : 21-01-2019  
Analysis Start Date : 22-01-2019  
Analysis End Date : 25-01-2019  
Sampling ID No. : 704  
Sampling Done By : ETS STAFF  
Sampling Location : E.T.P. PLANT  
Sampling Description : E.T.P.- OUTLET  
Sampling Method : ETS/STP/WATER-02  
Sampling Quantity : 2.0+0.5 LI  
Packing Condition : SEALED  
Packed In : P.V.C. CANE

S.No.	Parameter	Unit	Result	Standards (CPCB) (Max)		Test Method
				Inland Surface Water	Public Sewer	
1	pH		7.47	5.5 - 9.0	5.5 - 9.0	APHA-4500 H
2	Total Suspended Solids (TSS)	mg/l	74.8	100	600	APHA-2540-C
3	Oil & Grease (O & G)	mg/L	4.2	10	20	APHA 5520-A
4	Biological Oxygen Demand (BOD, at 27 °C for 3 days)	mg/L	21.6	30	350	IS 3025 (Part-4)
5	Chemical Oxygen Demand (COD)	mg/L	154.0	250	Not Specified	APHA-5220-B

\*\*\*\* End Of Report \*\*\*\*



For Enviro-Tech Services

AUTHORIZED SIGNATORY  
Dy. Quality manager



MSME - TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTRE  
कोच उद्योग विकास केन्द्र  
CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF GLASS INDUSTRY

एक वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान संस्थान  
A Scientific & Industrial Research Organisation  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India



ISO 14001:2004  
ISO 9001:2008

CDGI/PC/301/2018 881

Date:07.12.2018

STACK EMISSION MONITORING REPORT

Name of Organisation : M/S Saraswati Beads. Industries, Dholpura (Furnace No 02)  
Agra Road, Firozabad, (U.P.)  
Date of Monitoring : 04.12.2018  
Stack Material : MS  
Source of Sampling : Stack  
Fuel Used : Natural Gas  
Source to which stack attached : Continuous Tank Furnace (Recuperative)  
Holding Capacity : 2.97 TPD  
Drawing Capacity : 2.18 TPD  
Product : Glass Tubes  
Fuel consumption/day : 1435 SCM  
Instrument Used : Stack monitoring Kit & Flue Gas Analyser

PARAMETERS

Ambient Temperature. ( $^{\circ}$  C) : 36  
Stack Temperature. ( $^{\circ}$  C) : 345  
Stack Gas Velocity (m/s) : 8.24  
Sampling time (Minutes) : 35  
Sampling Flow Rate (LPM) : 18  
Volume of Air sampled (Liters) : 630

S.N	Parameter	Result	Standard As per EPA 1986 & MoEF & CC 22 march 2018
1	Particulate Matter(mg/Nm <sup>3</sup> )	29.53	150*
2	Nitrogen Oxides(mg/Nm <sup>3</sup> )	340	1000
3	Sulphur Dioxides(mg/Nm <sup>3</sup> )	8	500

\*The result of stack monitoring reveal that the concentration of particulate matter complied with prescribed standards as per stack emission standards under Schedule VI, EPA-1986. The standards notified under the Schedule I, of EPA-1986 for glass Industries using Coal as fuel shall not applicable because unit is using Natural Gas as a fuel.

(R M Sharma)

Pollution Control Division (I/C)

ए-1/1, औद्योगिक क्षेत्र, जलेशर रोड, पो.ओ. मुईददीनपुर, फिरोजाबाद (उ.प्र.)  
A-1/1, Industrial Area, Jalesar Road, Firozabad 283 203 (UP)  
Phone: +919897021838



MSME - TECHNOLOGY DEVELOPMENT CENTRE  
कॉच उद्योग विकास केन्द्र  
CENTRE FOR THE DEVELOPMENT OF GLASS INDUSTRY  
एक वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान संस्थान  
A Scientific & Industrial Research Organisation  
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार  
Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises, Government of India



ISO 14001:2004  
ISO 9001:2008

CDGI/PC/301/2018/830

Date:07.12.2018

STACK EMISSION MONITORING REPORT

Name of Organisation : M/S Saraswati Beads Industries, Dholpura (*Furnace No 01*)  
Agra Road, Firozabad, (U.P.)  
Date of Monitoring : 04.12.2018  
Stack Material : MS  
Source of Sampling : Stack  
Fuel Used : Natural Gas  
Source to which stack attached : Continuous Tank Furnace (Recuperative)  
Holding Capacity : 2.97 TPD  
Drawing Capacity : 2.18 TPD  
Product : Glass Tubes  
Fuel consumption/day : 1435 SCM  
Instrument Used : Stack monitoring Kit & Flue Gas Analyser

PARAMETERS

Ambient Temperature. ( $^{\circ}$  C) : 38  
Stack Temperature. ( $^{\circ}$  C) : 366  
Stack Gas Velocity (m/s) : 10.53  
Sampling time (Minutes) : 30  
Sampling Flow Rate (LPM) : 22  
Volume of Air sampled (Liters) : 660

S.N	Parameter	Result	Standard as per EPA1986 & MoEF&CC 22 march 2018
1.	Particulate Matter(mg/Nm <sup>3</sup> )	24.29	150*
2	Nitrogen Oxides(mg/Nm <sup>3</sup> )	491	1000
3	Sulphur Dioxides(mg/Nm <sup>3</sup> )	12	500

\*The result of stack monitoring reveal that the concentration of particulate matter complied with prescribed standards as per stack emission standards under Schedule VI, EPA-1986. The standards notified under the Schedule 1, of EPA-1986 for glass Industries using Coal as fuel shall not applicable because unit is using Natural Gas as a fuel.

(R M Sharma)

Pollution Control Division (I/C)

ए-1/1, औद्योगिक क्षेत्र, जलेशर रोड, पो.ओ. मुईददीनपुर, फिरोजाबाद (उ.प्र.)  
A-1/1, Industrial Area, Jalesar Road, Firozabad 283 203 (UP)  
Phone: +919897021838

# Saraswati Beads Industries

Manufacturers & Exporters of : GLASS BEADS (Kaanch Moti) & Glasswares

Ref No.

Dated.....

सेवा में,  
श्रीमान् श्री लीय कलिकाठी महोदय  
उ० प्र० प्रमुख नियन्त्रण कोरि,  
फिरोजाबाद

विषय: उपरोक्त आदि के निष्कायन करने  
के लक्ष्य में

महोदय

निवेदन यह है कि श्री उपरोक्त बिंदुओं से  
से लक्ष्य की कोरि के मालिकानों का मुक्ति सम्बन्धी  
विवाद चल रहा है जिसके कारण श्री उपरोक्त द्वारा  
उपरोक्त फर्म तथा मालिकानों की निष्कायन पूरी तरह से  
की जा रही है। लक्ष्य वार कारि से के लक्ष्य एमार्टे पक्ष  
में आने के बाद माननीय हाई कोर्ट से भी मुक्ति  
सम्बन्धी विवाद निरस्त कर दिया गया है जिसके  
आडि भी द्वारा उक्ति लक्षण है तथा एक निष्कायन  
प्राय 504, 506 प्राय 507 व प्राय 3(1) का एमार्टे/सी/ए  
एमार्टे एमार्टे वाना पक्षिण, फिरोजाबाद में भी दर्ज  
करायी भी जिसमें माननीय आशासाय ने अपने  
आदेश में यह कहते हुए कि "बाद ही उसी मुक्ति

AS/SA  
14.11.19

Factory : Dholpura, Agra Road, FIROZABAD-283 203 (U.P.)

# Saraswati Beads Industries

Manufacturers & Exporters of : GLASS BEADS (Kaanch Moti) & Glasswares

Ref No.

Dated.....

का विक्रय अनुबन्ध पत्र निष्पादित करना परिवादी  
की सहायता को नहीं करता है अपितु यह  
अभियुक्त गण के विरुद्ध दवाब बनाने की प्रवृत्ति  
का ही द्योतक है। यह वाद को खारिज कर दिया  
गया है।

अब श्रीमान जी श्री उदयर आदि द्वारा भी शिकाया  
श्री फर्म तथा श्री परिवार के खिलाफ की जा रही  
है वह झूठी है तथा लथरो से परे नियन्त्रित है  
के वजह परेशान करने की नियति से की जा रही है

—चंयमाद।

अर्जी  
Neelam Moheshwari

- समाप्त:- ① भूमिवाद का लक्ष्य वाद की के नियंत्रित वाक्य श्री  
② भूमिवाद की लक्ष्य की खारिज करने की वाक्य श्री  
③ लक्ष्य वाद का आशय के नियंत्रित वाक्य श्री

नोट:- हमारे परिवार के आज पास श्री उदयर  
की कोई भूमि नहीं है।